न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04/2018 निगरानी

1. रामराज पुत्र फैलीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम चांदसेन तहसील लालसोट जिला दौसा।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. मंगल पुत्र श्योराम जाति मीना निवासी ग्राम चांदसेन तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत चांदसेन जरिये सचिव ग्राम पंचायत चांदसेन तहसील लालसोट जिला दौसा।

गैरनिगरानीकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी विरूद्ध पट्टा संख्या 23 दिनांक 20.12.2013 आदेश ग्राम पंचायत चांदसेन तहसील लालसोट जिला दौसा।

उपस्थिति : श्री चरणसिंह डोई अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित।
: श्री भुवनेश्वर गंगावत अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 उपस्थित।

—:निर्णयः— दिनांकः 9.7.2018

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में अंकित भूखण्ड से गैर निगरानीकार संख्या 1 का कभी कोई सरोकार वास्ता नहीं रहा बल्कि निगरानीकार का ही उक्त भूखण्ड पर कब्जा है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चांदसेन द्वारा भौतिक रूप से बिना कब्जे की जांच किये उक्त पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत चांदसेन तहसील लालसोट द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी किया गया उक्त पट्टा सं0 23 दिनांक 20.12.2013 को निरस्त करवाने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी गैरनिगरानीकार की गई व अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा बहस के दौरान निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि पट्टा संख्या 23 दिनांक 20.12.2013 मंगल पुत्र श्योराम जाति मीना निवासी ग्राम चांदसेन के नाम जारी किया गया है। गैर निगरानीकार सं0 1 मंगल पट्टा जारी करते समय सन 2013 में ग्राम पंचायत चांदसेन में सहायक सचिव के पद पर कार्यरत था। मंगल पुत्र श्योराम द्वारा पद का दुरूपयोग

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

करते हुए निगरानीकार का भूखण्ड पर कब्जा होने के बावजूद अपने पिता के नाम पट्टा जारी करवा लिया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी किये जाने से पूर्व निगरानीकार को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया तथा न ही आपत्ति नोटिस जारी किया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा भूमि पर क़ब्जे के सम्बन्ध में जांच भी नहीं की। पत्रावली में अपेक्षित पूर्ति भी नहीं की गई है। शपथ पत्र पड़ौसी का कब्जे के साक्ष्य के रूप में आवश्यक था। पट्टा कमजोर वर्गों को जारी करना था जबकि गैर निगरानीकार संख्या 1 मंगल ने सरकारी सेवा में होते हुए स्वयं के नाम ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करवा लिया गया है। पट्टा दिये जाने हेतु जो समिति का गठन किया गया है उसमें भी एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, अन्य सदस्यों को पट्टा जारी करने का संज्ञान ही नहीं है। वादग्रस्त भूखण्ड पर वर्षों से निगरानीकार का कब्जा चला आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा न तो मौका देखा न कोई आपत्ति नोटिस ही दिया है, न ही निगरानीकारान को सुना है। इस प्रकार विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर जारीशुदा पट्टा सं0 16 दिनांक 20.12.2013 निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस में अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया कि निगरानीकार द्वारा इस बाबत कथन नहीं किया गया है कि जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है उससे निगरानीकार का क्या सम्बन्ध है। गैर निगरानीकार वर्षों से आबादी भूमि पर काबिज है जिसका पट्टा नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा प्रश्नगत पट्टा भूमि के पट्टा दिया जाने हेतु कोई आवेदन भी नहीं किया गया है। निगरानीकार द्वारा उक्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन नहीं किये जाने का भी कोई कारण व्यक्त नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने में यदि दस्तावेजात में कोई कमी भी है तो वह जारीकर्ता ग्राम पंचायत की है पट्टेधारी की नहीं। प्रश्नगत पट्टा 20.12.2013 को जारी किया गया है जिसकी निगरानी 27.2.2018 को पेश की गई है जिसकी निगरानी 4 वर्ष पश्चात पेश की गई है। इतने समय तक निगरानी पेश नहीं किये जाने का कोई उचित कारण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। निगरानीकार द्वारा मात्र दुर्भावनावश गैर निगरानीकार संख्या 1 को परेशान करने हेतु यह निगरानी पेश की गई है। प्रक्रिया में किसी प्रकार की कमी रह जाती है या अनियमितता रह जाती है तो वह दूर की जा सकती है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया साथ ही ग्राम पंचायत चांदसेन से प्राप्त मूल पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नगत पट्टा सं0 16 दिनांक 20.12.2013 जारी किये जाने से पूर्व प्रश्नगत पटटा भूमि के सम्बन्ध में जांच नही की

अति० जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गई है तथा ग्राम पंचायत चांदसेन द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतः प्रकरण ग्राम पंचायत चांदसेन पंचायत समिति लालसोट को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत चांदसेन पंचायत समिति लालसोट द्वारा गैरनिगरानीकार सं. 01 के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 23 दिनांक 20.12.2013 को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत चांदसेन पंचायत समिति लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुना जाकर विवादित पट्टा भूमि के सम्बन्ध में जांच कर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 9.7.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा